न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 70/2024

नोजी पत्नि भारूराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. भंवरीदेवी पत्नि धर्माराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नेमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सुरजाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
4. आसी पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
5. सुखी पुत्री धर्माराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
6. डालाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
7. दुलाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
8. श्रवणराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
9. गोमा पुत्री मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
10. धनी पुत्री मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
11. धापु पुत्री मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
12. मैना पुत्री मुलाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
13. छोटूराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
14. पदमाराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
15. पुराराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
16. मोहनलाल पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
17. सोहनलाल पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
18. जमना पत्नि किरताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
19. भंवरलाल पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
20. राजुराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
21. [illegible] पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

22. सम्पु पुत्री किरताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
23. नेमाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
24. मोडाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
25. शैतानाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
26. देदाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
27. भंवरलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
28. मोहनराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
29. रामेश्वरलाल पुत्र भभुताराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
30. शेतानाराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
31. हरूराम पुत्र केशरराम जाति जाट निवासी सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू
32. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सुजानगढ जिला चूरू
33. उप पंजीयक महोदय बीदासर जिला चूरू
34. उप पंजीयक महोदय कातर छोटी जिला चूरू
35. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

<u>दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।</u>

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

—: निर्णय :—

दिनांकः– 29/01/25

वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 64 चौसठ तादादी 5.9438 पांच दशमलव नो चार तीन आठ हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीनी 2/47 दो बट्टा सेंतालीस हिस्सा भूमि की खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौका पर मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के वादीनी की 2/47 दो बट्टा सेंतालीस हिस्सा भूमि वादगत खसरा में दक्षिणी साईड में कटाणी रास्ता पर आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 31 ईकतीस अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक ता 31 ईकतीस का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 05.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 31 ईकतीस की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 35 पेंतीस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम सडू छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ोरित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश या।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सडू छोटी खसरा संख्या 64 तादादी 5.9438 हेक्टेयर भूमि वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 2/47 हिस्सा भूमि है जो वादगत खसरा भूमि में हिस्सा पांति में दक्षिणी साईड में कटाणी रास्ता पर आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29/01/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
नोजी बनाम भंवरी आदि
दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।

मुकदमा न.:– 70/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु........हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सडू छोटी खसरा संख्या 64 तादादी 5.9438 हेक्टेयर भूमि वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 2/47 हिस्सा भूमि है जो वादगत खसरा भूमि में हिस्सा पांति में दक्षिणी साईड में कटाणी रास्ता पर आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज................मुबलिग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह...............
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.......................................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/01/2025

मुहर (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू, सत्यमेव जयते)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सत्यमेव जयते)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)